

GRPI-211-6L-11-94

V-190/CR.J.(e)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

in the court of.....

Class.....

Case No.....

Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 27.10.17 को समय 21.40 बजे स्थान किसी गृह में  
पर बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के 22 वर्षीय  
को अपने आधिपत्य में रखा  
जो मोप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के  
संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.



(निर्णय)

(आज दिनांक 7.11.17 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिसवीकृति के आधार पर आरोपी/गण को धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 15 वर्षों- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जब्तशुदा 22 भारतीय दण्ड संहिता के नष्ट किए जायें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता 10 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड

पंकज शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

पंकज शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)